

प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 28.12.2024

कूटरचना द्वारा धोखाधड़ी कर नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रूपए लेकर अवैध नियुक्ति पत्र देने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व उ0नि0 रामानुज सिंह यादव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 707/2024 धारा 318(4),319(2),336(3),338,340(2),351(3),352 भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त मनीष यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा कूटरचना द्वारा धोखाधड़ी कर नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रूपए लेकर अवैध नियुक्ति पत्र देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मनीष यादव पुत्र स्व0 कोईल यादव निवासी रायपुर कोईरी टोला थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 707/2024 धारा 318(4),319(2),336(3),338,340(2),351(3),352 भा0न्या0सं0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 155/2024 धारा 498ए,323,504,506 भा0द0वि0 व ¾ डीपी एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रामानुज सिंह यादव चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट गोरखपुर
2. उ0नि0 अवनीश कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी गोलघर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. हे0कां0 जितेन्द्र सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 कविन्दर कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. कां0 दीपक यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर